

विक्रय-पत्र

प्लॉट सं०-....., क्र० सं०-....., बी० कोड सं०-....., कालम.....

सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय प्लॉट

मोहल्ला-सन इन्फ्रा सिटी पार्क (रसूलपुर जहानगंज) शाहजहाँपुर

दर-.....प्रति वर्ग मीटर

बाजारी मूल्यरुपया

विक्रय मूल्य.....

अदा स्टाम्प शुल्क.....

सड़क की स्थिति-.....

आवासीय भूमि का क्षेत्रफल.....

सम्पत्ति दो रास्ते पर स्थित है।

पक्षों की संख्या-विक्रेता

क्रेता

विवरण चौहद्दी-

पूरब

पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण.....

सन इन्फ्रा सर्विसेज प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय लोधीपुर, शाहजहाँपुर द्वारा अधिकृत निदेशक प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र शान्ती प्रसाद अग्रवाल, निवासी मो० अजीजगंज, शहर व जिला शाहजहाँपुर मो० नं०-9415035103 पैन नं०-AATCS3667D

.....प्रथम पक्ष

एवं

...द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष आवासीय भूखण्ड स्थित सन इन्फ्रा सिटी पार्क (रसूलपुर जहानगंज) तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर का स्वामी है, जिस भूखण्ड का निजी नम्बर है। जिसकी नाप पूरब से पश्चिम जानिब उत्तर व दक्षिण दोनो ओरमीटर व उत्तर से दक्षिण जानिब पूरब व पश्चिम दोनो ओरमीटर कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर है, जिसकी विस्तृत नापें व चौहद्दी संलग्न नक्शे में भी अंकित है। प्रथम पक्ष उपरोक्त भूखण्ड के पूर्ण स्वामी है। उक्त कालोनी का ले-आउट प्रथम पक्ष द्वारा नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र नगर मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर से स्वीकृत कराया गया है जिसकी ले-आउट सं०-364 (संशोधित) दिनांक 24.04.2014 है तथा जिसका आंशिक संशोधित मानचित्र संख्या 12/2017-18 दिनांक 15.05.2017 है जिनमें से एक किता प्लॉट जिसका निजी नम्बर बी-48 है जिसको विक्रय करने, रेहन करने आदि के समस्त मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। विक्रित सम्पत्ति पर कोई भी भार व वाद आदि नहीं है हर प्रकार से पाक व साफ है। अतः प्रथम पक्ष ने खूब सोच व समझकर अपनी स्वस्थ मस्तिष्क, सचेत व संज्ञान इन्द्रियों की अवस्था में बिना किसी जबर व दबाव के उक्त वर्णित सम्पत्ति

है जिनमें से एक किता प्लाट जिसका निजी नम्बर.....है जिसको विक्रय करने, रेहन करने आदि के समस्त मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। विक्रित सम्पत्ति पर कोई भी भार व वाद आदि नहीं है हर प्रकार से पाक व साफ है। अतः प्रथम पक्ष ने खूब सोच व समझकर अपनी स्वस्थ मस्तिष्क, सचेत व संज्ञान इन्द्रियों की अवस्था में बिना किसी जबर व दबाव के उक्त वर्णित सम्पत्ति को मु0कि जिसके आधे मु0 .

..... होते हैं, में बदस्त द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल कीमत अंत में दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को अपने समान मालिक काबिज व दखील बना दिया कब्जा व दखल वाकई दे दिया अब नहीं रहा कोई हक हम प्रथम पक्ष का विक्रित आवासीय भूखण्ड के बावत यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम सरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा वातिल व नाजायज होवे निकल जावे जुज या कुल भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे से तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित हम प्रथम पक्ष से जात व जायदाद से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष को कोई उज्र या इंकार न होगा। अतः यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

विवरण प्रतिफल

समस्त प्रतिफल बजरिये चेक निम्न अनुसार अदा किया जा रहा है—

चेक सं० धनराशि दिनांक जारीकर्ता बैंक

नोट— विक्रित प्लाट चौड़े रास्ते पर स्थित है, जिसकी आवासीय भूमि के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रति वर्ग मीटर की दर निधि निर्धारित है। विक्रीत भूखण्ड का मूल्यांकन.....रूपया होता है जिस पर..... का देय स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है। भविष्य में यदि इस कालोनी से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई विस्तार या संशोधन किया जाता है तो हम द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा कालोनी का विस्तारण करने का अधिकार केवल प्रथम पक्षगण या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही होगा। द्वितीय पक्ष विक्रित आराजी उफतादा के सामने स्थित नाली व रास्ता पर सीढ़ी व छज्जा आदि का निर्माण नहीं करायेगा। द्वितीय पक्ष जो भी निर्माण करायेगा वह तलपट मानचित्र के अनुसार ही स्वीकृति लेकर करायेगा एवं मकान का बाहरी आउटलुक एवं रंग प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की गई पालिसी के अनुसार करायेगा ताकि सिटी पार्क कालोनी में एकरूपता बनी रहे। द्वितीय पक्ष प्लाट का प्रयोग वाणिज्यिक नहीं करेगा और न ही कोई पशुपालन करेगा। कालोनी की देख-रेख, मेंटीनेंस आदि के सम्बंध में भविष्य में होने वाले व्यय कालोनी के सहवासियों द्वारा सोसाइटी को नियमानुसार अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष/क्रेता की होगी। स्टाम्प शुल्क प्रथम पक्ष द्वारा अदा किया गया।

गवाह—1

गवाह—2.....

मसविदा— उमेश कुमार मिश्र, (एड०) मो०नं०—9335521814

टाइपकर्ता— अनुज शर्मा

दिनांक—